



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3255/2026

Gurpreet Singh S/o Balvindra Singh, Aged About 19 Years, R/o Sadakwala P S Sadar Suratgarh District Sri Ganganagar. (At Present Lodged In Sub Jail Suratgarh)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3256/2026

1. Balvindra Singh S/o Arjun Singh, Aged About 40 Years, R/o Sadakwala P S Sadar Suratgarh District Sri Ganganagar. (At Present Lodged In Sub Jail Suratgarh)

2. Puran Singh S/o Arjun Singh, Aged About 38 Years, R/o Sadakwala P S Sadar Suratgarh District Sri Ganganagar. (At Present Lodged In Sub Jail Suratgarh)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Jitendra Ojha

For Respondent(s) : Mr. Narendra Gehlot, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रार्थीगण—अभियुक्तगण की ओर से अलग—अलग जमानत के आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना सूरतगढ़ सदर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 15/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 333, 115(2), 189(2) बी.एन.एस. के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुए हैं, जो एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित होने से इनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

02. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी—अभियुक्त बलविन्द्रसिंह की हद तक इस जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देते हैं। साथ ही यह निवेदन करते हैं कि इस मामले में चालान पेश होने के पश्चात प्रार्थी—अभियुक्त बलविन्द्रसिंह पुनः जमानत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहे।

03. अतः यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी—अभियुक्त बलविन्द्रसिंह की हद तक बल नहीं दिए जाने के आधार पर जरिये नोट प्रेस खारिज किया जाता है एवं इस



मामले में चालान पेश होने के पश्चात प्रार्थी-अभियुक्त बलविन्द्रसिंह पुनः जमानत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

04. बहस जमानत आवेदन प्रार्थीगण-अभियुक्तगण गुरप्रीत सिंह व पूर्णसिंह की हद तक सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

05. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में आहत के बयान के मुताबिक मुख्य रूप से प्रार्थी-अभियुक्त बलविन्द्र सिंह द्वारा गंडासी से चोटें कारित की गई है, जो गंभीर प्रकृति की चोटें आना पाई गई है। ऐसी अवस्था में मुख्य रूप से आरोप बलविन्द्रसिंह पर है जिसकी हद तक जमानत प्रार्थना-पत्र को जरिए नोट प्रेस निस्तारित करवाया गया है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

06. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

07. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

08. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

09. परिणामतः प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **गुरप्रीत सिंह पुत्र बलविंदर सिंह व पूर्णसिंह पुत्र अर्जनसिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J